नि० वि० स्था०–46/2026.......

बिहार सरकार
निगरानी विभाग
सूचना भवन, पटना।

प्रेषक,

रामाशंकर,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव
सभी विभाग, बिहार, पटना।
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार।

पटना, दिनांक 30/06/26

विषय :– दिनांक 02.07.2026 को "बिहार सतर्कता जागरूकता दिवस" एवं दिनांक 02.07.2026 से दिनांक 08.07.2026 तक बिहार सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाये जाने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक कहना है कि राज्य सरकार द्वारा पूरे राज्य में 02 जुलाई, 2026 को "बिहार सतर्कता जागरूकता दिवस" एवं दिनांक 02.07.2026 से दिनांक 08.07.2026 तक बिहार सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाये जाने का निर्णय लिया गया है।

अतः सतर्कता शपथ–पत्र की छायाप्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि दिनांक 02.07.2026 को पूर्वाह्न 11:00 बजे सतर्कता संबंधी शपथ लेने हेतु अपने अधीनस्थों को निदेशित करने की कृपा की जाय।

अनु०–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

सरकार के अपर सचिव

सचिव
डायरी सं० 5867
दिनांक 30/06/26

विशेष सचिव, कोषांग
डायरी सं० 1508
दिनांक 01/07/26
जल संसाधन विभाग
बिहार, पटना

उप सचिव
मुख्यालय (स्थापना)
जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना
डायरी संख्या– 1165
दिनांक– 01/07/2026

AMARJEET KUMAR\2026\(6) JUNE

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांकः— 02 / स्था0—17—01 / 2025— 3585 पटना, दिनांक— 01.07.26

प्रतिलिपिः— सभी संयुक्त सचिव (प्रबंधन एवं अभियंत्रण सहित) / सभी उप सचिव (प्रबंधन सहित) / सभी अवर सचिव (प्रबंधन सहित) / मुख्यालय में पदस्थापित सभी पदाधिकारीगण एवं कर्मचारी, जल संसाधन विभाग, बिहार को दिनांक—02.07.2026 के पूर्वाह्न 11:00 बजे बिहार सतर्कता जागरूकता दिवस में सतर्कता शपथ लेने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. कार्यपालक अभियंता, IT Centre, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सभी संबंधित कार्यालय को ई—मेल करने एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अनु0:— शपथ पत्र।

ह0 / —
(कृष्ण गोपाल)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांकः— 02 / स्था0—17—01 / 2025— 3585 पटना, दिनांक— 01.07.26

प्रतिलिपिः— सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अनु0:— शपथ पत्र।

1.7.2026
(कृष्ण गोपाल)
सरकार के उप सचिव

अनुबंध–'क'

सतर्कता शपथ–पत्र

(लोकसेवक)

मैं .... आज दिनांक .... को सत्यनिष्ठा से शपथ लेता/लेती हूँ कि लोक-सेवक के रूप में अपने सभी कार्यो का निष्पादन पूरी ईमानदारी, पारदर्शिता और निष्पक्षता से करूँगा/करूँगी। मैं अपने सभी कार्यो के संचालन में संबंधित कानूनों, नियमावलियों और प्रक्रियाओं का पालन करूँगा/करूँगी तथा सदैव जनहित को सर्वोपरि रखूँगा/रखूँगी। मैं किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार का न सहभागी बनूँगा/बनूँगी और न ही उसका समर्थन करूँगा/करूँगी। मैं अपने संगठन और समाज में ईमानदारी और सुशासन को बढ़ावा देने के लिए कर्त्तव्यबद्ध रहूँगा/रहूँगी। यदि भ्रष्टाचार से संबंधित किसी भी गतिविधि में संलिप्त पाया जाऊँगा/ जाऊँगी तो विधिनुसार कठोर कार्रवाई का भागीदार बनूँगा/बनूँगी।